राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 176/2018

विश्राम सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.02.2018
आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम महर्षि, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

(i) Declare that only 5 years record relating to rewards and punishment is to be taken into consideration for purposes of promotion as per the syllabus.

(ii) Declare that the selection Board has erred in considering the punishments awarded to the appellant beyond five years of the vacancy year 2014-15.

(iii) Declare that the appellant's APARS have not been assessed properly and marks assigned APARS are not correctly given.

(iv) Declare that the appellant's APARS for the years 2010-11 and 2011-12 be related as very good and he be assigned 2 marks of each APAR.

(v) Declare that the marks deducted under head punishments for the penalty imposed in the year 2006 are arbitrary and illegal.

(vi) Declare that the appellant deserves 11 marks under Head APARS, 14½ marks under head rewards and 12½ marks under head punishment and therefore, with 8 marks interview his total marks be treated to be 11+14.5+12.5+8 = 46 and he be deemed to have passed in Part II of the tests.

(vii) Declare that by reassignment of marks, appellant deserves to be declared pass in the tests and be sent for promotion and PCC as CC as be per given his seniority with all consequential benefits.

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को वर्ष 1997 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्लाटून कमांडर के पद पर चयन उपरांत नियुक्त किया गया था और दिनांक 21.09.1997 को 5वीं बटालियन आर.ए.सी में अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा वर्ष 2015–16 की 24 रिक्तियों के लिए आरएसी में कंपनी कमांडर के पद के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 16.06.2016 जारी की गई। अपीलार्थी ने भी आवेदन किया एवं उसे पात्र होने के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर है (अनुलग्नक–1)। इसके पश्चात अपीलार्थी को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया (अनुलग्नक–2)। उसके बाद अपीलार्थी परेड और आउटडोर परीक्षणों में उपस्थित हुआ और भाग–। में उत्तीर्ण होने पर अपीलार्थी को परीक्षा के भाग–।। के लिए बुलाया गया। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 4/90 दिनांक 09.08.1990 (अनुलग्नक–3) द्वारा कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जारी किया गया। जिसे बाद में आदेश संख्या 472 दिनांक 23.05.1992 द्वारा भाग–ा संशोधित किया गया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड और साक्षात्कार दिनांक 18.02.20161 को आयोजित किया गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को असफल घोषित किया गया क्योंकि अपीलार्थी परीक्षा के भाग–।। में निर्धारित प्रतिशत अंकों से कम अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद अपीलार्थी ने आरटीआई अधिनियम के तहत योग्यता परीक्षणों में प्राप्त अंकों की सूचना ली और मार्कशीट प्राप्त करने पर यह पता चला कि अपीलार्थी को आईजीपी आरएसी–।। द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2007 द्वारा भविष्य प्रभाव में 5 वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोक दी गई, इसलिए इस सजा के कारण पुरस्कार और सजा शीर्षक के तहत नकारात्मक अंक दिए गए थे। इसके पश्चात अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या–1 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि इसी सजा के कारण, अपीलार्थी को बोर्ड द्वारा वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के लिए पहले ही पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था और उसी सजा के लिए उसे फिर से पदोन्नति परीक्षा 2015–16 में वंचित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी को आरएसी चतुर्थ बटालियन के कमांडेंट द्वारा कमांडेंट आरएसी, आठवीं बटालियन को लिखित पत्र दिनांक 16.01.2017 पृष्ठांकित किया गया। जिसमें यह उल्लेख था कि बोर्ड द्वारा स्थायी आदेश संख्या 4/90 के अनुसार अंक प्रदान किए गए हैं (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी ने वर्ष 2014–15 के लिए पदोन्नति परीक्षणों के समय अपीलार्थी को बोर्ड द्वारा दिए गए अंकों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी चाही गई,

लेकिन पत्र दिनांक 17.05.2017 प्राप्त होने के बाद अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी का मानना है कि उसे ''पुरस्कार एवं दण्ड'' में सही ढंग से अंक नहीं देने से अपीलार्थी पदोन्नति में चयन से वंचित रहा है। बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को दिये गये अंकों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने लिखित परीक्षा में 100 अंकों में से 62 अंक प्राप्त किए हैं, उसे परेड और आउटडोर परीक्षण के लिए 125 अंकों में से 76 अंक दिए गए हैं। इस प्रकार उसने परीक्षा के भाग–। में 225 अंकों में से 138 अंक प्राप्त किए हैं। अंकों की प्रतिलिपि अनुलग्नक 7 पर उपलब्ध है। परीक्षा के भाग–।। में अर्थात रिकॉर्ड और साक्षात्कार में अपीलार्थी ने एपीएआर के लिए 15 में से 9 अंक प्राप्त किए हैं और इनाम (Reward) शीर्षक के तहत कुल 15 में से 14½ अंक प्राप्त किए हैं और दण्ड के रूप में 16½ अंक काट लिये गये। इसलिए पुरस्कार और सजा के लिए निर्धारित कुल 30 अंकों में से अपीलार्थी को शून्य अंक दिए गए हैं और एपीएआर और पुरस्कारों एवं दंड के लिए निर्धारित 60 अंकों में से केवल 4 अंक दिए गए। अंको की तालिका दर्शाती है कि 5 वेतन वृद्धि रोकने के दंड के कारण जुर्माने के लिए 14 अंक काटे गए हैं एवं 1½ अंक एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण एवं 1 अंक परिनिन्दा के दण्ड के कारण काटे गये है (अनुलग्नक–8)। प्रत्यर्थी विभाग के स्थाई आदेश सं. 4/90 दिनांक 09.08.1990 द्वारा जारी पाठ्यक्रम में स्थाई आदेश दिनांक 23.05.1992 द्वारा आंशिक संशोधन किया जाकर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक काटे जाएंगे जहां वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो। इसलिए एक दण्ड के लिए 2 अंक काटे जाने थे, भले ही दण्ड एक वर्ष से अधिक समय तक वेतन वृद्धि को रोकने के लिए हो, उसे एक ही जुर्माना माना जाएगा। इसलिए 5 वेतन वृद्धि भविष्य में प्रभाव से जीआईएस पर रोक लगाने के दण्ड हेतु 10 अंको के बजाय केवल 2 अंक काटे जा सकते थे और इस प्रकार बोर्ड ने अपीलार्थी को दी गई सजा का आकलन करते समय स्थायी आदेश की व्याख्या करने और लागू करने में गलती की है। यदि बोर्ड ने भविष्य में प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकने के कुल 2 दंडों के लिए 4 अंक काटता, भविष्य के प्रभाव के बिना 1 वेतन वृद्धि के दंड के लिए 1½ अंक और परिनिंदा के लिए 1 अंक, तो अपीलार्थी के 15 अंको में से 6½ अंक काटे जाते तो अपीलार्थी 17 अंक के स्थान पर 40 अंक का हकदार हो जाता। अपीलार्थी को परीक्षा के भाग ाा में अंको के गलत निर्धारण के कारण असफल घोषित किया जाकर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। चयन सूची अनुलग्नक–10 पर है। स्थाई आदेश के अनुसार पदोन्नति के साथ 5 साल का सेवाभिलेख देखा जाना है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी द्वारा चाहे गये समस्त अनुतोषों पर समस्त परिलाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित पदोन्नति परीक्षा में भाग प्रथम उर्तीण करने के बाद भाग द्वितीय रिकार्ड एवं साक्षात्कार मद में मात्र 75 में से 15 अंक प्राप्त कर सका, जबकि नियमानुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है अर्थात 33.75 अंक रिकार्ड एवं साक्षात्कार मद में प्राप्त करने पर ही भाग ाा में उर्तीण होता है तथा भाग एक लिखित परीक्षा एवं परेड तथा भाग दो रिकार्ड एवं साक्षात्कार मद मे समग्र रूप से 50 अंक प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण माना जाता है। अपीलार्थी के प्राप्तांक कम होने के कारण असफल घोषित किया गया था जो अंक तालिका एनेक्जर– 08 से स्पष्ट है। अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित परीक्षा में भी शरीक हुआ था, वर्ष 2015–16 परीक्षा की अंकतालिका के अनुसार अपीलार्थी ने परीक्षा का भाग 01 लिखित एवं आउटडोर पास किया, परन्तु भाग 02 रिकार्ड एवं इन्टरव्यू मद में मात्र 18 अंक प्राप्त कर पाया, जबकि इस भाग में सफल होने के लिये 33.75 अंक आवश्यक है। इस परीक्षा में भी अपीलार्थी के एपीए में 15 में से 08, पुरस्कार एवं सजा में 30 में से 0 अंक प्राप्त किये। इस कारण अपीलार्थी को अनुर्तीण घोषित किया। अपीलार्थी द्वारा सजा के अंकों पर आक्षेप किया गया है। वर्ष 2014–15 में सजा में कुल 16.50 अंक थे जिनमें एक मामले में पांच वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव से, एक मामले में दो वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव से रोकने का दण्ड, एक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से रोकने एवं एक परिनिन्दा का दण्ड है। इस तरह कुल 16.50 अंक सजा के होते है, जबकि पुरस्कार के मात्र 14.5 अंक के ही है। इस कारण शून्य अंक आवंटित किये गये। अपीलार्थी के अनुसार वर्ष 2014–15 में यदि पांच जी आई भविष्य प्रभाव को मेजर सजा माना जावे तो भी 03 अंक, इसी तरह दो जी आई भविष्य प्रभाव को भी मेजर सजा माना जावे तो भी 03 अंक होते है, अन्य एक जी आई बिना भविष्य प्रभाव के 1.50 अंक तथा परिनिन्दा का 01 अंक कुल सजा 8.50 अंक होते हैं, जिन्हें अवार्ड के 14.5 अंक में से घटाने पर मात्र 06 अंक बढ़ते है, यदि ये 06 अंक रिकार्ड एवं इन्टरव्यू मद में प्राप्त 15 अंकों में जोड़ दिये जावें तो भी कुल 21 अंक होते हैं, जबकि सफल होने के लिये 33.75 अंक आवश्यक थे। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में रिवार्ड अंक 15 में से सजा 8.50 घटाने पर 06.50 अंक बढ़ते है, जिन्हें रिकार्ड एवं इन्टरव्यू मद में प्राप्तांक 18 में जोड़ा जावे तो भी योग 24.50 अंक होता है जबकि सफल होने के लिये 33.75 अंक आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की परीक्षा के द्वितीय चरण में रिकार्ड एवं इन्टरव्यू में न्यूनतम अंक 33.75 प्राप्त करने में असफल रहा है इसलिये अपीलार्थी पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया। अपीलार्थी की अपील आधारहीन, सारहीन व रिकार्ड के अनुसार नियमों के विपरित होने से प्रथम दृष्टया खरिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। अपीलार्थी ने पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में परीक्षा के द्वितीय चरण सेवाभिलेख एवं साक्षात्कार में सही अंक नहीं देकर उसे पदोन्नति से वंचित रखने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। हम अपील में चाहे गये अनुतोष का विवेचन करना उचित समझते हैः–

अनुतोष 1, 2 एवं 5 – अपीलार्थी का निवेदन है कि जारी पाठ्यक्रम के अनुसार विगत 5 वर्षों के पुरस्कार एवं दण्डों को ही पदोन्नति के समय विचार किया जावे एवं चयन मंडल द्वारा वर्ष 2014–15 की रिक्ति की पदोन्नति के समय 5 साल से अधिक अवधि के अपीलार्थी के पुरस्कार एवं दंण्डों पर विचार कर त्रुटि की है। साथ ही वर्ष 2006 में दिए गये दंड के आधार पर अंक काटने की कार्यवाही को अवैध एवं मनमाना घोषित किया जावे। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसे आदेश दिनांक 09.08.2007 द्वारा 5 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दंड से दंडित किया गया जो रिक्ति वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 से 5 वर्ष से ज्यादा अवधि की होने से अंक नहीं काटे जाने चाहिए एवं इस दण्ड के आधार पर रिक्ति वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई है तो इस एक दण्ड के आधार पर बार–बार पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थायी आदेश दिनांक 4/90 में यह प्रावधान नहीं है कि बोर्ड वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड के पेटे उतने वर्ष तक अंक नहीं काटेगा जितने वर्ष तक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड है। किसी एक विभागीय जांच के तहत दिए गये दण्ड को एक दण्ड माना जाना चाहिए।

उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि रिक्ति वर्ष 2014–15 हेतु प्रस्तुत अंकतालिका (अनुलग्नक–8) में अपीलार्थी को पुरस्कार के 14½ अंक दिए गये एवं दण्ड में 16½ होने से इस मद में शून्य अंक दिए गये है। इसमें वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के पेटे 14 अंक, वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के पेटे 1½ अंक एवं परिनिन्दा के पेटे 1 अंक काटा गया है। उभय पक्ष के कथन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने के दो दण्डों से दंडित है उसमें एक दण्ड 5 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने एवं एक दण्ड 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का है। यद्यपि किसी भी पक्ष ने जारी दण्डादेशों की प्रतिया पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु अपीलार्थी के इस संबंध में यह निवेदन है कि रिक्ति वर्ष से 5 साल से अधिक पुराने दण्डादेश के संबंध में अंक नहीं काटने चाहिए तथा एक जांच में पारित दण्डादेश को एक ही दण्ड माना जाकर अंक काटने चाहिए एवं एक ही दण्ड के आधार पर बार–बार पदोन्नति से वंचित नहीं करना चाहिए।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थायी आदेश सं. 4/90 में यह स्पष्ट नहीं है कि रिक्ति वर्ष से विगत कितने वर्षों के पुरस्कार एवं दण्डों पर विचार किया जायेगा। परन्तु सेवा नियमों एवं कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जारी विस्तृत परिपत्र में यह

स्पष्ट है कि रिक्ति वर्ष के विगत 7 वर्षों के सेवाभिलेख/दण्डों पर विचार किया जायेगा। अतः इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि रिक्ति वर्ष के 5 साल से अधिक पुराने दण्डों एवं पुरस्कारों पर विचार नहीं किया जावे। जहां तक दण्डो का प्रभाव देने का प्रश्न है कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.07.2006 एवं परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में इस संबंध में निम्न व्यवस्था की गई हैः–

दण्ड का प्रकार	पदोन्नति का प्रभाव	टिप्पणी
परिनिन्दा का दण्ड	एक परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित करना	प्रत्येक प्रकरण में अलग–अलग प्रभाव अर्थात् एक से अधिक प्रकरणों में दण्ड दिया जाता है तो कार्मिक को पदोन्नति से उतनी ही बार वंचित किया जायेगा।
असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना	असंयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के एक दण्डादेश हेतु एक बार पदोन्नति रोकना	
संचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना	एक दण्डादेश से जितनी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड है, उतनी ही बार पदोन्नति से वंचित करना	प्रत्येक प्रकरण/आदेश का अलग–अलग प्रभाव होगा।
पदोन्नति रोकने का दण्ड	जितने वर्षों हेतु पदोन्नति रोकी गई है उतने वर्षों तक पदोन्नति से वंचित करना	यदि पदोन्नति रोकने के दण्डादेश में समय का उल्लेख नहीं हो तो सात वर्षों तक पदोन्नति रोकना

इसके अनुसार संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने की दशा में प्रत्येक रोकी गई वेतन वृद्धि का अलग–अलग प्रभाव दिया जायेगा अर्थात् जितने वर्ष के लिए वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है उतनी ही बार उसको प्रभाव दिया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि मात्र इसी दण्ड के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु पृथक से स्थाई आदेश जारी किया हुआ है। जिसमें विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत लिखित परीक्षा, आउटडोर एवं परेड तथा रिकार्ड व साक्षात्कार के आधार पर समग्र रूप से परीक्षण कर पदोन्नति का प्रावधान है एवं दण्डादेश होने के बावजूद अन्य मानदण्डों पर परीक्षण किया जाकर पदोन्नति पर विचार करने की व्यवस्था की हुई है। इसके अनुसार पुरस्कारों एवं दण्डों के संबंध में जारी पाठ्यक्रम के अनुसार अंक दिए जाकर इस मद में अंक दिए जायेंगे। चूंकि इसमें समस्त पुरस्कारों के संबंध में प्रतिवर्ष अंक दिए जाते है। अतः प्रतिवर्ष दंडों के संबंध में अंक काटे जाने की व्यवस्था समानता के सिद्धान्त पर आधारित है परन्तु जो दण्ड रिक्ति वर्ष से 7 वर्ष से ज्यादा पुराने है, उनके पेटे अंक काटना नियमानुसार नहीं है। अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत हम पाते है कि वर्ष 2014–15 की रिक्ति हेतु अपीलार्थी को पुरस्कार एवं दंड में दिये गये अंक विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार सहीं है। वर्ष 2015–16 की रिक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में अपीलार्थी को पुरस्कार के पेटे 15 अंक एवं दण्ड के पेटे 16.5 अंक देने से इस मद

में शून्य अंक दिए गये है। इसमें दण्ड मद में भविष्य प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड के पेटे 14 अंक, बिना भविष्य प्रभाव वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड के पेटे 1.5 अंक एवं परिनिन्दा के दण्ड हेतु 1 अंक दिया है। इस प्रकार दंड हेतु वर्ष 2014–15 की रिक्ति के अनुसार ही अंक काटे गये है। इसमें भविष्य प्रभाव से 5 वेतन वृद्धि रोकने का दण्डादेश दिनांक 09.08.2007 को होने से इस रिक्ति वर्ष से 7 साल से ज्यादा पुराना होने से हमारे मतानुसार इसका प्रभाव नहीं देना चाहिए। इसके 10 अंक हटाने पर दण्डों के पेटे 6.5 अंक होते है। इस प्रकार पुरस्कार एवं दण्ड मद में (15–6.5) = 8.5 अंक होने चाहिए। अतः इस आधार पर अपीलार्थी को परीक्षा के द्वितीय चरण में APARS + पुरस्कार/दण्ड + साक्षात्कार के क्रमशः 8 + 8.5 + 10 = 26.5 अंक होने चाहिए। परन्तु यह अंक भी द्वितीय चरण उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों से कम ही रहते है एवं पदोन्नति हेतु चयन हेतु उत्तीर्ण नहीं होता है।

अनुतोष संख्या 3 एवं 4 – यह अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी के APARS के संबंध में सहीं अंक प्रदान नहीं किए गये। अपीलार्थी के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की APARS को अच्छा (Good) माना है। जबकि बहुत अच्छा (Very Good) माना जाकर प्रत्येक हेतु 2 अंक दिए जावे। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसकी वर्ष 2009–10 की APARS ''बहुत अच्छा (Very Good)'' थी। अतः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की APARS को बिना सूचित किए Good नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर प्रस्तुत अंक तालिका (अनुलग्नक–8) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बहुत अच्छा हेतु 2 अंक, अच्छा हेतु 1 अंक एवं उत्कृष्ट हेतु 3 अंक दिए गए है, जो पाठ्यक्रम के अनुरूप है। वर्ष 2009–10 की APARS बहुत अच्छा होने के आधार पर आगे के वर्षो (वर्ष 2010–11 एवं 2011–12) की APARS को भी बहुत अच्छा मानने का अपीलार्थी का तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि APARS प्रतिवर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर दी जाती। वर्ष विशेष की APARS किसी स्तर पर डाउन ग्रेड करने की दशा में लोक सेवक को सुनने का प्रावधान है। अतः चयन बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के APARS के संबंध में सहीं अंक प्रदान करने से यह अनुतोष भी स्वीकार योग्य नहीं है।

अनुतोष संख्या 6 एवं 7 – अपीलार्थी के APARS के 11 अंक, पुरस्कार के 14½ अंक, दण्ड के 12½ अंक एवं साक्षात्कार के 8 अंक के आधार पर कुल 46 अंक माने जाकर परीक्षा के द्वितीय भाग में उत्तीर्ण मानने एवं पदोन्नति हेतु पीसीसी में भेजने एवं वरिष्ठता एवं पारिणामिक लाभ का अनुतोष चाहा है।

यद्यपि उपर APAR के अंको तथा दण्ड एवं पुरस्कार के अंकों के संबंध में विवेचन किया जा चुका है परन्तु यदि अपीलार्थी का कथन एक बार के लिए मान भी लिया जावे तो उसके अंक 11 + 14½ – 12½ + 8 = 21 होते है, जो भाग द्वितीय में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से कम होते है। यहां स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी का यह अनुतोष मानने योग्य नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी के APARS में दिए गए 9 अंक सही है। साक्षात्कार के 8 अंक है

एवं अपीलार्थी को दिनांक 09.08.2007 को 5 वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव से रोकने का दण्ड रिक्ति वर्ष 2014–15 के 7 वर्षों में आता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को अंक 9 + 0 + 8 = 17 अंक द्वितीय भाग में दिए है, जो न्यूनतम निर्धारित अंकों से कम होने से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे रिक्ति वर्ष 2014–15 में असफल घोषित करने की कार्यवाही नियमानुसार सहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य